

प्रतिबंधन सम्बन्धी अनु-मौखरीय
 अधिकांश पर हे पत्रावली
 पूर्वका अनुसार दिनांक को

4-8-22

व्युत्पादक पक्षकारान उषा / प्रतिवादीगण ^{अनुसूचित अधिकारी}
 10/11/2022 को कोर्ट में ही मुक्ति दायी: Adl द्वारा
 प्रकालातगण्य पूर्व में पेश हो उक्त के जवाब
 9/11/2022 को वादीगण द्वारा कोई आप्रवर्ति
 नहीं चाहते थे. उक्त को तर्क कराना चाहते
 थे. 30 पत्र शीकाफ किया जाता 9-11-2022
 को तर्क किया जाता है वास्ते जवाब हेतु
 प्रवावली दि० 19-9-22 को पेश हो। (11)

19-9-22

व्युत्पादक पक्षकारान उषा वास्ते जवाब हेतु
 प्रवावली दि० 4-11-22 को पेश हो। (11)

4-11-22

NOT-press
 (11)

वकील वादी द्वारा प्राचना पत्र प्रस्तुत करने पर
 प्रवावली आज पेश हुई। वकील वादी ने
 जाहिर किया कि पक्षकारान में कापस में
 शरीरमात्र हो गया हो वकील वादी
 द्वारा चावा NOT-press किया गया
 30 पत्र शामिल प्रवावली किया गया
 वास्ते निर्णय हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत
 में दि० 12-11-22 को पेश हो। (11)